महोदय से जानना चाहता हूं क्या वे इस संबंध में कोई कड़े कदम उठाने का विचार रखते हैं और क्या इस कम्पनी का लाइसेंस रद्द करने का विचार भी रखते हैं ?

SHRI MOHAN DHARIA : Sir, Coca-Cola Export Corporation was established in the country in the year 1958. Since then we have taken the whole stock of the situation and this House may perhaps be astonished to know that the remittances by the Coca Cola Company during the year 1958 to 1974 were of the order of Rs. 6·87 crores besides the amount that they claim is held up by the Government, to the tune of Rs. 3·69 crores. The total works out to Rs. 10·00 crores, approximately. Under the circumstances, the Government has asked the Coca Cola Export Corporation to get converted into an Indian Company whereby the shares of the non-resident Indians should not exceed 40%. Now, this is done under FERA and the Company has given its consent. But that is a qualified consent. The Company wants to have one liaison and quality control office to control the coca-cola concentrates thereby this new company will only be a distribution company in the country. We cannot accept that condition and thereofore, the Government has taken a decision not to allow them. But then the question comes regarding the present bottling companies and the nearly 6000 employees employed by the bottling companies. To This extent, I am happy to inform the House that certain experiments have been made here in the country by our Central Food Technological Research Institute and they have developed a cola type beverage. Now we are experimenting this new concentrates of new invention made in the country where it is possible to take care of the bottling companies and also get rid of this company which is trying to exploit this poor country. The Government is seized of the matter and I can assure the House that determined and firm action will be taken against this multi-national company.

श्री धर्मसिंह भाई पटेल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हमारे देश में पार्ले, ड्यूक, रोजर्स, स्पेंसर्स, काली इत्यादि अनेक पेय पदार्थ बनाने वाली स्वदेशी कम्पनियां है, इन स्वदेशी कम्पनियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं और आगे क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

SHRI MOHAN DHARIA : I have made it very clear that we would like to encourage the Indian Companies and the indigenous goods manufactured herhis.

SHORT NOTICE QUESTION

Strike in B.H.E.L., Bhopal

+

S.N.Q.31. DR. MURLI MANOHAR JOSHI :
SHRI CHHABIRAM ARGAL :
SHRI OM PRAKASH TYAGI :
SHRI YUVRAJ :
DR. LAXMINARAYAN PANDEYA:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the recent strike in Bharat Heavy Electricals, Limited, Bhopal has resulted in a loss of several crores of rupees; and

(b) whether Government are aware that the strike was politically motivated and intended to jeopardise the working of this vital public sector undertaking and if so, the steps proposed to be taken to counteract such moves?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) The recent strike in BHEL, Bhopal, from 14th to 26th July, 1977, has resulted in a loss of about Rs. 5 crores.

(b) The Govt. is investigating into the circumstances of the strike.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : It is a very important question relating to strike in BHEL. This is a very prestigious concern of the Indian Government and it has wide contracts in Libya, Malaysia, Bhutan and Saudi Arabia and is also entering into international collaboration. The USSR, etc., the super powers, find BHEL as a very tough competitor in the international market. Then you see, there are attempts in this country to sabotage the industrial progress of BHEL, which is responsible for supplying various Power Projects. If there is a strike in BHEL, there will be a corresponding shortage in the supply of power material and the consequent decleration of the industrial production.

I want to know whethe the Minister is aware that there are reports that certain sections of the trade unions were interested in continuing the strike and also whether the reports which have appeared in the press that a part of the managment was also interested in promoting the strike are correct and that part of the Management is at the mercy of the last Government. Was there any conspiracy between that section of management and certain trade unions affiliated to INTUC, etc., which engineered the strike and is it a deliberate attempt to sabotage the industrial progress of the country? I would like to know whether the Minister is going to investigate

SHRI GEORGE FERNANDES: The strike in BHEL evolved itself in a peculiar way. It started on the 14th July with about 430 workers belonging to one small workshop coming out, shouting slogans that they should be promoted. In the course of the day they were persuaded to go back to work and they went back. The following day, however, all the artisans went on a tool-down strike and came out and their demand was that all the workers in the plant should be promoted every three years to the next higher grade. They demanded that every three years a man should be promoted to the next higher grade. No Union was involved when this demand was made. In fact our information is that all the Unions were themselves taken by surprise. It was not possible to have any talks because there was no spokesman. From 15th to 19th, this was the situation with all the workmen standing out and shouting slogans that they should be promoted to the next higher grade every three years. There are twenty trade Unions in BHEL. These includes category-wise Unions also. On the 19th of July, all these Unions finally came together, and they formed a Joint Council of Action. The management began talks with the Joint Council of Action immediately. On the 26th of July, we were finally able to arrive at a settlement. Almost all Unions have signed this settlement. But the AITUC and the INTUC did not sign the settlement on that day. However, on the 27th there was complete resumption of work with all the Unions extending co-operation and support. They also assured the management that by the end of November even the production loss of Rs. 5 crores would be made up.

As far as the point about whether there was any political motivation or whether any officers were involved is concerned, I have no information.

DR. MURLI MONOHAR JOSHI: If there is such a wide discontentment about the promotion policy not only in this unit but in other units of BHEL also, is the minister going to appoint a committee or commission to go into this question of promotion policy because while higher officials are promoted very frequently, these artisans are denied promotion?

SHRI GEORGE FERNANDES: In BHEL there is a certain uniform promotion policy in all the units. There has never been any specific demand about the promotion policy till this trouble started. In fact, in the Bhopal unit, there is a joint negotiating committee, which had met last on 28th June, i.e. about a fortnight before the trouble erupted. Even at that point of time no issue was raised about the promotion policy. Now there is an agreement follwoing this strike, which provides for a re-examination of the promotion policy by a joint council to be set up by the management and by the unions and I have reasons to believe that this dispute over promotions could be resolved.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय बी०एच०ई०एल० में जो हड़ताल हुई, उसके कारण 5 करोड़ रुपये की हानि सरकार को हुई, देश को हुई और बाद में किसी समझौते पर मैनेजमेंट मज़दूरों के साथ पहुंचा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार को इस समझौते को करने में इतनी देरी क्यों लगी जिससे 5 करोड़ रुपये की हानि हुई। अगर मजदूरों की मांगों में कुछ दम था और वे मांगें लीगल थीं तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट को जल्दी हस्तक्षेप करना चाहिए था ताकि यह समझौता शीघ्र हो जाता और 5 करोड़ रुपये की हानि न होती और यदि उनकी मांगें इल्लीगल थीं, ठीक नहीं थीं, तो स्ट्राइक को इल्लीगल घोषित क्यों नहीं किया गया और इतनी देरी क्यों लगी, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बताया है कि कैसे 14 तारीख को यह मामला शुरू हुआ और कैसे 19 तारीख तक कोई बात करना सम्भव नहीं था। जैसे ही ऐसी स्थिति निर्माण हो गई कि 20 संगठनों का एक प्रतिनिधि-मंडल बन गया, बातचीत शुरू हो गई। हम ने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से बात की और वहां के श्रम मंत्री से भी बात की और एक बार नहीं हम ने कई बार उन से सम्पर्क स्थापित किया। उनकी तरफ से हर प्रकार का प्रयास हुआ जिसके चलते अन्त में यह समझौता हो पाया।

अब जहां तक सवाल मांगों के कानूनी और गैर-कानूनी होने का है, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मांगें कानूनी या गैर कानूनी नहीं हो सकती। कोई भी मांग हो, वह ठीक हो सकती है। आप यह कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर के ग्रेड में हर आदमी को 3 साल में प्रोमोशन मिलनी ही चाहिए।

अब इसको कानूनी या गैर-कानूनी नहीं कहा जा सकता और इस पर बहस करना कठिन है। कोई यह मांग कर सकता है कि 2 सालों में प्रोमोशन मिलनी चाहिए और कोई यह मांग कर सकता है कि 5 साल में प्रोमोशन मिलनी चाहिए। अब यह मांग उचित है या अनुचित है, वह दूसरी बात है लेकिन इसके ऊपर कानून की बात उठाने का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि वह नहीं हो सकता। आप यह कह सकते हैं कि माग उचित है या अनुचित है लेकिन कोई डिमान्ड लीगल है या इल्लीगल है, इस पर बहस करना मेरे ख्याल से कठिन है।

जहां तक 5 करोड रुपये के घाटे की बात है, इसके बारे मे यह बताना चाहूंगा कि एक दो बार ऐसा हुआ कि बातचीत करने के लिए जब संगठन के प्रतिनिधियों को आना था, तो वे आ नही पाये। दरअसल मे आपस मे इतना मतभेद था कि वे किसी एक निश्चित राय पर नही पहुंच पा रहे थे और ठीक तौर पर बातचीत नही कर सकते थे। इस कारण से समझौता होने में देरी हुई।

श्री युवराज : क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आई०टी०यू०सी० और आई०एन०टी०यू०सी० जो 20 ट्रेड यूनियन मे से दो यूनियन है, इन लोगों की कौन सी मागे थी, जिन के कारण इन दो ट्रेड यूनियनों की तरफ से भी समझौता करने मे सहमति नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ और इन लोगों की कौन कौन सी मांगें थीं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मांग तो किसी की भी कोई नही थी। असल बात यह है कि 14 तारीख को 430 कर्मचारी बाहर आए और कहने लग गए कि हमे तरक्की दो। दूसरे दिन सभी बाहर आ गए और कहने लग गए कि तीन साल में आगे बढ़ाओ। ट्रेड यूनियनें 19 तारीख को आ गई। तब तक यूनियनों का कोई सवाल ही नहीं थी। किसी एक संगठन ने कोई विशेष मांग रखी ही जिस की वजह से यह संघर्ष हुआ हो ऐसी बात नहीं थी जब 19 तारीख को सब एक हो गए तब उन्होंने एक पांच सूत्री मांगपत्र बनाया। वह इस प्रकार से है :

"1. The promotion policy of the BHEL should be reviewed and promotion should be given to all workers every three years.

2. Houses should be given to all employees.

3. Encashment of leave travel concessions : whether they avail of the leave travel concession or not it should be paid in cash.

4. Compensation to be given to the ministerial and other staff whose working hours have been increased from 41 to 48 per week in 1974

5. Conveyance allowance should be given to all employees who possess a vehicle at par with the officers. Further conveyance subsidy should be paid to all employees whether they are given houses in the township or not."

ये पाच मागे 19 तारीख को उनकी तरफ से पेश की गई। उसके बाद जब समझौता हुआ तो उस मे भी प्रोमोशन का जो मामला था उस पर एक समझौता हो गया जिस के चलते कुल मिलाकर लगभग 1400 कर्मचारियों को आगे के ग्रेड मे भेजने वाली बात तय हो गई। और मागो के बारे मे जो यूनियन्ज की तरफ से उठाई गई थी जैसे मैने कहा है ज्वायट नैगोशिएटिंग कमेटी है वह बात करती रहेगी जैसे आज तक करती रही है। प्रोमोशन के बारे में, उसकी पालिसी के बारे में एक अलग कमेटी जैसे पहले बताया है बनी है और वह इस पर अपना निर्णय देती रहेगी। इसलिए ए आई टी यू सी या आई एन टी यू सी वगैरह की तरफ से कोई विशेष मांग छेड़ी गई थी जिस पर समझौता नही हो सका इसलिए उन्होंने दस्तखत नही किए ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कभी...

एक माननीय सदस्य : कोई कांस्पिरेसी तो नहीं है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : 25 तारीख को समझौता हो गया । 27 को काम शुरू हो गया । सब मजदूर काम पर आ गए । कभी कभी ऐसा जरूर हो जाता है मजदूर आन्दोलन मे कि अगर दो से ज्यादा सगठन है और एक समझौता करता है तो दूसरा यह बताने की कोशिश करता है कि मैं उससे ज्यादा तेज हू, इसलिए मैं इस पर दस्तखत नही करूंगा । हो सकता हैं कि ए आई टी यू सी या आई एन टी यू सी द्वारा दस्तखत न करने के पीछे यह भी एक कारण हो ।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : मत्री जी ने बताया है कि वास्तव मे प्रोमोशन की नीति मे कुछ दोष था और उसी कारण यह स्वीकार किया गया है कि चौदह सौ मजदूरो का प्रोमोशन हो जाएगा और यह चीज समझौते मे तय कर दी गई है । तब तक जो प्रोमोशन की रीति नीति रही है और जिस अधिकारी के दोषपूर्ण व्यवहार के कारण इन कर्मचारियो को हडताल के लिए बाध्य होना पडा, उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे है और आगे के लिए कौन सी ऐसी व्यवस्था करने जा रहे है, या कदम उठाने जा रहे है ताकि इस तरह की नौबत फिर न आए ?

क्या यह भी सही है कि भेल मे असन्तोष का एक कारण यह भी है कि वहा के कुछ यूनिट्स को वहा के मैनेजमेंट के द्वारा हटाए जाने की बार-बार बात भी कही जाती है ? उसके कारण भी क्या यह सही नही है कि कर्मचारियो मे काफी असन्तोष पैदा होता है और उसी कारण से भी इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई या हडताल हुई क्या वहा मैनेजमेंट के दिमाग मे यह विचार है जिस के कारण वहा के मजदूरो मे असन्तोष है ? या ऐसी कोई योजना है ?

भेल एक बहुत बडा कनसर्न है मध्य प्रदेश के अन्दर । उसकी बहुत बडी ख्याति भी है । विदेशो से उसका व्यवहार भी है । वहा भेल से भारी संयत्रो का निर्यात भी होता है किन्तु वहां के आर्टिजंस को जिन को प्रामोशन मिलनी चाहिये थी बारह साल तक लगातार प्रोमोशन नही मिली जबकि अधिकारियो को पाच-पाच साल मे तीन-तीन बार मिल गई क्या यह सही है ? क्या इस कारण से भी असन्तोष व्याप्त नही था ? जैसाकि आपने कहा है । जो कमेटी बनी है क्या यह सारे मसले पर गहराई से विचार करेगी ताकि इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो ? मैं चाहूगा कि कमेटी इस पक्ष को गभीरता से देखें ?

यूनिट वाली जो बात मैने कही है उसके बारे मे आपका क्या विचार है, मैनेजमेंट का क्या विचार है यह भी बताने की आप कृपा करे ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, जहा तक इस हडताल का ताल्लुक है उसमे और कोई बात तो नही उठी थी सिवाय प्रमोशन के । तो किसी और मसले को लेकर असतोष है, अफसरो के प्रोमोशन के मामले से या कारखाने को वहा से ले जाने की बात थी, ऐसा कोई भी सवाल 14 तारीख से 26 तारीख तक के इस घटनाक्रम मे किसी भी रूप मे हमारे सामने नही आया । अब प्रोमोशन पौलिसी मे किसी की गलती रही है, क्याकि कमेटी बन गई है वह सारे मामले को देखेगी उस समय हम देख सकेंगे कि क्या कोई बुनियादी गलती रही है । जहा तक मेरी समझ है, ऊपरी तौर पर जो समस्या को समझ पाया हू उसमे अध्यक्ष महोदय कोई बुनियादी गलती वाली बात हमारे सामने नही आयी है । लेकिन जब एक विभाग के लोग अपने प्रोमोशन को लेकर परेशान होते है तो उस बात को समय पर जो देखना चाहिये उसके देखने मे जरूर कुछ विलम्ब हुआ है, ऐसा लगता है । इसलिये समझौते मे 1400 लोगो के प्रोमोशन वाली बात भी तय की गई है ।

मेरे पास इस समय भोपाल यूनिट के बारे मे ऐसी कोई जानकारी नही है कि वहां से किसी भी विभाग को कम किया जा रहा

है या बाहर ले जाने की कोई चर्चा ही रही है। और चूंकि यह सवाल अभी एक कमेटी के सामने है मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोमोशन के बारे में एक ठोस नीति हम बनाने के बारे मे कामयाब हो पायेंगे। मेरे पास इस समय ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वहां से कोई यूनिट कम करने की बात हो रही है या हटाने की बात हो रही है।

SHRI K. RAMAMURTHY : Will the hon. Minister be pleased to tell us this ? Was it not a fact that the INTUC, AITUC, etc. have placed certain demands *about promotion issue about two years* back and No. 2, was it not a fact that at the instance of the ruling party backed unions, they have created this sort of a strike there and No. 3 ...

MR. SPEAKER : You combine only two and not more.

SHRI K RAMAMURTHY : Was it not a fact that BHEL unit had no orders formulating a promotion policy, even though those demands were pending for the past two years ? The executive directors and others were reluctant to settle this.

SHRI GEORGE FERNANDES : It is not correct to say that BHEL does not have a promotion policy. In fact the agreement that has been signed by the 20 unions including AITUC, INTUC, etc says : "It is hereby agreed that the changes in the promotion policy suggested by the council will have to be gone in detail ......" In other words, there is a promotion policy. Certain changes have been proposed and certain changes have been suggested by the unions It is another matter to say that there is no promotion policy. There is a promotion policy ; what is sought are certain changes.

In so far as the AITUC, and INTUC unions making demands about changes in the promotion policy, I think the demands in all those cases came from the workers themselves. I have repeated how it started and where it finally ended and said that the agreement speaks of joint council of action. During the last 20 years each union has submitted its charter of demands; unions constantly submit their demands and I presume that there must be demands submitted by the INTUC and AITUC as also other unions relating to the promotions and other aspects pertaining to workers.

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब *कर्मचारी या श्रमिक अपनी मांगों को लेकर* सरकार या उद्योगपति के सामने आते हैं तो उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं होता है, इसीलिये हड़तालें होती हैं। जब हड़तालें और आन्दोलन जोर पकड़ते हैं और देश के प्रोडक्शन में नुकसान होने लगता है तो उन लोगों की मांगों पर सरकार विचार करती है। क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनायेगी कि श्रमिकों के आन्दोलन या हड़ताल करने से पहले ही उनकी मांगों के बारे मे बातचीत की जाये, वाजिब मांगों पर विचार किया जाये और उन्हें माना जाये ? साथ ही साथ क्या यह नीति भी तय करेगी कि विचार-विमर्श मे जो बातें न मानी जायें, गलत हो उन्हे हड़ताल करने के बाद भी न माना जाये ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह प्रश्न श्रम मन्त्रालय से सम्बन्धित है, फिर भी मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह सवाल सरकार के सामने विचाराधीन है।

श्री मनीराम बागड़ी अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही अहम सवाल यह है कि भारत मे हड़ताल करने का अधिकार है या नही ? पुरानी सरकार की जो मजदूरों के बारे मे नीति थी, क्या अब, जो नई जनता सरकार बनी है वह उसको बदलकर मजदूरों को एक-सी सहूलियत देगी ? मैं जानना चाहता हूं कि उस सरकार की नीति मे और इसमे क्या अन्तर हुआ ? कल का मजदूर नेता आज का उद्योग मन्त्री है, उसकी स्पष्ट नीति सामने आनी चाहिये, मेरा यही सवा है।

कंट्रोल के कपड़े के रंगों और डिजाइनों के बारे में प्राप्त शिकायतें

*798. श्री ईश्वर चौधरी . क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन के माध्यम से सुपर बाजार तथा अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा *खुदरा व्यापारियों से शिकायतें मिली हैं कि*